भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1435
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

समग्र शिक्षा एकीकृत योजना

1435. **श्री सनातन पांडेय:**
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा एकीकृत योजना के उद्देश्य क्या हैं;
(ख) क्या उक्त योजना के तहत 'सर्व शिक्षा अभियान' और 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' (आरएमएसए) को शामिल किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार के सुपौल और मधेपुरा जिलों में और समग्र शिक्षा एकीकृत योजना के तहत शिक्षा को सुदृढ़ करने तथा प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम-वार उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा हेतु एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना-समग्र शिक्षा- कार्यान्वित कर रहा है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) की तीन पूर्ववर्ती योजनाओं को शामिल किया गया है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को समतापूर्ण और समावेशी कक्षा वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य : (i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना; (ii) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 को कार्यान्वित करने में राज्यों की सहायता करना; (iii) प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा पर ध्यान देना; (iv) बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान पर बल देना; (v) छात्रों में 21वीं सदी के कौशल सिखाने के लिए समग्र, एकीकृत, समावेशी और कार्यकलाप आधारित पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति पर बल देना; (vi) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान और छात्रों के अधिगम परिणामों में वृद्धि करना; (vii)

स्कूल शिक्षा में सामाजिक तथा लैंगिक अंतर को कम करना; (viii) स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता एवं समावेशन सुनिश्चित करना; (ix) शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)/राज्य शिक्षा संस्थान तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) को सुदृढ़ और उनका उन्नयन करना; (x) सुरक्षित, संरक्षित और अनुकूल अधिगम वातावरण सुनिश्चित करना तथा स्कूल शिक्षा के प्रावधानों में मानकों को बनाए रखना एवं (xi) कौशल शिक्षा को बढ़ावा देना हैं।

समग्र शिक्षा के तहत, संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकता के आधार पर वार्षिक योजना तैयार की जाती हैं एवं यह उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) प्रस्तावों में परिलक्षित होता है। तत्पश्चात, योजना के कार्यक्रमिक और वित्तीय मानदंडों तथा पूर्व में अनुमोदित कार्यकलापों के संबंध में राज्य की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति के अनुसार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इन योजनाओं का आकलन एवं अनुमोदन/अनुमान लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय सहायता जिला-वार या कार्यकलाप-वार प्रदान न करके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 हेतु परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा सुपौल और माधेपुरा जिलों सहित बिहार राज्य हेतु जारी किए जाने वाला अनुमोदित केंद्रीय भाग जिसमें शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ करना शामिल है, क्रमशः ₹ 4991.23 करोड़, ₹ 4991.23 करोड़ और ₹ 5984.34 करोड़ है।

*****